जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-13.02.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग, पथराव करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 28.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में दो पक्षो ने एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व पथराव करने की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग व पथराव करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त सावेज के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सादिक पुत्र सालिम उर्फ जम्मल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.सावेज पुत्र सालिम उर्फ जम्मल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री संदीप कालखण्डे थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0का0 रिंकू थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब व शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 20 बोतल अंग्रेजी शराब व शराब तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.गौतम पुत्र ओमपाल निवासी अराईपुरा थाना घरोन्दा जनपद करनाल हरियाणा।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 20 बोतल अंग्रेजी शराब रॉयल चैलेन्ज।

2.शराब तस्करी में प्रयुक्त हीरो स्पलेंडर मो0सा0 रजि0 नं0-HR 91 0831।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0कां0 योगेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जुआं खेलते 04 जुआरी गिरफ्तार, कब्जे से नगदी 1460/- रुपये व 52 ताश पत्ते बरामदः-</u>

आज दिनांक 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 04 जुआरियों को नकदी 1460/- रुपये एवं 52 ताश पत्ते व प्लास्टिक के कट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.वासिल पुत्र उमर निवासी मौहल्ला मौलानू कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

2.वजीर पुत्र सगीर निवासी ग्राम बल्ला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.ओमपाल पुत्र सरजीत निवासी ग्राम उल्हैनी अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.अंकित पुत्र राममेहर निवासी ग्राम उदपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.नगदी 1460/- रुपये व 52 ताश पत्ते।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिह चौकी   चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली

2.है0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली

3.ह0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली

4.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली

5.का0 प्रदीप कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली

6.का0 दीपक यादव चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 13.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.बिन्दा उर्फ देवेन्द्र पुत्र रहतूलाल निवासी मौहल्ला रविदासपुरी कस्बा ऊन थाना झिझाना जनपद शामली।

2.मोहन पुत्र कालू राम निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 5,900/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2014 में अभियुक्त नोटू पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 540/2014 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2008 में अभियुक्त बिल्लू उर्फ बलविन्द्र पुत्र बलकार सिंह निवासी मुस्तपाबाद चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 213/2008 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2004 में अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र बलजीत निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 285/2004 धारा 323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/सीजेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 1998 में अभियुक्त बिस्काल उर्फ मिस्काल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशैर जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 231/1998 धारा 420/406/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2014 में अभियुक्त नाहिद हसन पुत्र मुनव्वर निवासी कैराना थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 27/2014 धारा 171(छ) भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।